(वाद सं0.-2547/4/11/2021)

06.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुखदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त चालक, जिला परिषद्, गया को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाया पावना का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, गया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, गया** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया** के प्रतिवेदनानुसार **" श्री सुखदेव प्रसाद, सेवा निवृत्त जीपचालक, जिला परिषद्, गया का सेवान्त लाभ एवं अन्य बकाया पावना का भुगतान जिला परिषद्, गया का ज्ञापांक–701/जि0प0, गया दिनांक–15.07.2022 के माध्यम से 11,96,973.00 रूपया एवं जिला परिषद् गया का ज्ञापांक–209/जि0प0, गया दिनांक–31.03.2022 के माध्यम से 26,72,415.00 रूपया की सभी तरह के बकाया पावनाओं का भुगतान किया जा चुका है। "**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, गया** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, गया** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–20–07/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक